न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1653–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–04–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 672/11–12/अपील

महबूब बाई पुत्री जैतराम बाछडा
निवासी दुलाखेडा रोड ग्राम जेतपुरा
तहसील नीमच जिला नीमच

.....आवेदक

विरूद्ध

1–पुलिस विभाग नीमच द्वारा पुलिस अधीक्षक
नीमच जिला नीमच
2–मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला नीमच

.....अनावेदकगण

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–04–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर नीमच के समक्ष महूनसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जेतपुरा चौराहे के पास ट्रैफिक आउट पोस्ट की स्थापना हेतु शासकीय भूमि सर्वे कमांक 2 रकबा 0.78 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 21–5–12 को आदेश पारित कर ग्राम दुलाखेडा तहसील नीमच स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 2/5 रकबा 0.64 हेक्टेयर ट्रैफिक आउट पोस्ट की स्थापना हेतु पुलिस अधीक्षक नीमच को हस्तान्तरित की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 1–4–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का 40 वर्ष से कब्जा होकर मकान बना हुआ है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि अनावेदक कमांक 1 को आवंटित करने में कलेक्टर द्वारा घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है क्योंकि आवेदक का पूर्वजों के समय से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का वर्ष 1970 के पहले से कब्जा है । अतः ग्रामों की दखल रहित भूमि(विशेष उपबंध) अधिनियम 1970 की धारा 3 के अनुसार आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व अर्जित हो गये है । ऐसी स्थिति में उसे प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित ट्रैफिक आउट पोस्ट बनाने का प्रस्ताव निरस्त हो चुका है इस कारण भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के आसपास अन्य भूमि स्थित है अतः आवेदिका की भूमि को छोडकर अन्य शासकीय भूमि में से अनावेदक को भूमि अन्तरित की जा सकती है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदिका द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और शासकीय भूमि पर किसी को स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते हैं । अतः कलेक्टर द्वारा शासकीय भूमि अनावेदक कमांक 1 को हस्तान्तरित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय होने से कलेक्टर न्यायालय द्वारा भूमि जनहित कार्य के लिये आवंटित की गई है । तहसीलदार नीमच के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि ट्रेफिक आउट पोस्ट के निर्माण हेतु आवंटित किये जाने के संबंध में विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि राजमार्ग पर ट्रेफिक आउट पोस्ट की स्थापना हेतु पुलिस अधीक्षक नीमच को नियमानुसार हस्तांतरित की गई है । कलेक्टर द्वारा जनहित में की गई कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–04–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर